ंबिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छनीसगढ्रदुर्गः तक, 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2007-कार्तिक 25, शक 1929

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (वित्त तथा योजना विभाग) मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक 4-9/2007/23/वियो.—जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 (क्रमांक 18 सन् 1969) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2), धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदन शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 219/2001/यो. आ. सा./23/2001, दिनांक 02 मई, 2001 तथा तत्संबंधी पूर्व अन्य समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अक्त अधिन्यम के प्रयोजन हेतु कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार मुख्य रिजस्ट्रार, उप मुख्य रिजस्ट्रार, जिला रिजस्ट्रार एवं उप रिजस्ट्रार नियुक्त करती है जो 01 जनवरी, 2008 से प्रभावशील होगा, अर्थात :—

सारणी

त्रहरू.	अधिकारी	पद	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	उप संचालक (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी	उप मुख्य रिजस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	मम्पूर्ण छत्तीसगढ् राज्य
3.	कंलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रिजस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर

(1)	(2)	(3)	. (4)
4.	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	जिला पंजीयक	उनके राजस्व जिले
5.	नगर पालिका निगम का आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी या निगम द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य अधिकारी	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके नगर पालिका निगम की सीमा के भीतर.
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा नाम- निर्दिष्ट अन्य अधिकारी.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की सीमा के भीतर.
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके जनपद पंचायत के भीतर
8.	पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी	उप-रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु	उनके ग्राम पंचायत के भीतर.

Raipur, the 8th November 2007

NOTIFICATION

No. 4-9/2007/23/F&P.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of the section 4, sub-section (1) of section 6 and sub-section (1) of section 7 of the Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in supersession of this department's notification. No. 219/2001/PES/2001, dated 2nd May, 2001 and corresponding all other previous notification, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as a Chief Registrar, Deputy Chief Registrar, Additional Chief Registrar, District Registear, Registrar and sub-Registrar respectively as specified in column No. (3) within the Jurisdiction as specified in column No. (4) of the Table given below for the purposes of the said Act, with effect from 1st January 2008, namely:—

TABLE

3.00 (4.	and the second of the end of the second of t	3 0.60			
S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4) Whole State of Chhautisgarh		
1.	Director of Economics and Statistics	Chief Registrar Births and Deaths			
2.	Deputy Director (vital statistics) Economics and Statistics.	Deputy Chief Registrar Births and Deaths.	Whole State of Chhattisgarh		
3.	Collector	Additional Chief Registrar Births and Deaths.	Within their Revenue District		
4.	District Planning and Statistics Officer.	District Registrar Births and Deaths.	Within their Revenue District		
8	Chief Commissioner/Health Officer of Municipal Corporation or any other Officer nominated by corporation.	Registrar Births and Deaths	Within their limits of Monicipal Corporation.		
	Chief Municipal Officers or other Officers nominated by the Municipal Council/Nagar Panchayat.	Registrar Births and Deaths	Within their Municipal Council/Nagar Panchayat.		

(1)		(2)	a 400 E 15	(3)	(4)		
7.	Chief Execu Panchayat.	tive Officer Janpad	x	Registrar Births and Deaths	Within Panchayat	their	Janpad
8.	Panchayat Karmi.	Sachiv/Panchayat		Sub-Registrar Births and Deaths	Within their Gram Panchay		Panchayat

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.